

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/455 ✓

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 प्रार्थना-पत्र	279/24	3/12/24	DATE 21/12/24	12/12/24 19/12/24 21/12/24

अनवान

श्री शंकर साह पिता घीसा

श्री रामचन्द्र पिता काना उर्फ खाना

निवासी अमृतपुरिया, बिजौलिया

निवासी अमृतपुरिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री निर्मल कुमारी खत्री

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

श्रीकरलाल

बनाम

रामचन्द्र

किरम मुकदमा - 111-128

नम्बर 279 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03/12/2024	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 12/12/2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">3 उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p>	
12/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O सा दौरे पर हैं। प्राज्ञवली दिनांक 12/12/24 को वास्तु अर्थ पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">3 उपखण्ड अधिकारी</p>	
19/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षी की बाद दाम्नीय प्राप्त हुई जिनके शामिल पत्रावली की गई विपक्षीगण बाद स्वयं उपस्थित रहे। विपक्षीगणों को उबार बाहर लगाई गई। विपक्षी बाद स्वयं उपस्थित रहे वे वारण विपक्षीगणों के विरुद्ध उचित कार्यवाही चारित किए गए। पत्रावली आगामी दिनांक 21/12/24 को प्रशासन गणों के लोग भक्षियाज - बिजौलियां में पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">3 उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा</p>	
21/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में निर्णय हुकम में सुनाए गए। विस्तृत निर्णय प्रत्येक को लिखवाए गए। पत्रावली केवल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर वास्तु अहकम पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">3 उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा</p>	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 279/2024

दिनांक 03/12/2024

- 1 शंकरलाल पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 2 शिवलाल पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 3 मांगीबाई पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 4 सरजुदेवी पत्नि घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
.....प्रार्थीगण

बनाम

- 1 छीतर पिता राजमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 2 दोला पिता राजमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 3 रामचन्द्र पिता काना उर्फ खाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 4 बन्शीलाल पिता काना उर्फ खाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 2/12/2024

प्रार्थना पत्र शंकर लाल , शिवलाल, मांगीबाई, पिता घीसा ,सरजु बाई पत्नि पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 जरिये अभिभाषक श्री निर्मल कुमार खटीक एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की मौजा ग्राम अमृतपुरिया पटवार हल्का चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 20 पर अंकित आराजी 244/48, 245/55, 42, 43, 46, 47, 53 कुल किता 07 रकबा 1.5539 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लड़ाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार कि मौजा ग्राम अमृतपुरिया पटवार हल्का चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 20 पर अंकित आराजी 244/48, 245/55, 42, 43, 46, 47, 53 कुल किता 07 रकबा 1.5539 हैक्टेयर भूमि बिशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे।



प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया